

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क-4) विभाग

क्रमांक : प.4(1)कार्मिक / क-4 / 2016

जयपुर, दिनांक **15 JUN 2016**

आज्ञा

राजस्थान प्रशासनिक सेवा नियम, 1954 के नियम-32 के अन्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंषा पर राजस्थान प्रशासनिक सेवा की सुपरटाईम वेतन श्रृंखला में नियमित रूप से नियुक्त निम्नांकित अधिकारियों को राजस्थान प्रशासनिक सेवा की हायर सुपरटाईम वेतन श्रृंखला वर्ष 2016-17 में योग्यता-सह-वरिष्ठता के आधार पर एतद्वारा पदोन्नत किया जाता है :-

क्र.सं.	नाम (सर्व श्री / श्रीमती / सुश्री / डॉ.)	रिक्ति की तिथि
1	कुंज बिहारी पन्ड्या	01.04.2016
2	महेन्द्र सोनी	01.04.2016
3	अश्वनी कुमार शर्मा	01.04.2016
4	विजयपाल सिंह-।	01.04.2016
5	शैली किशनानी	01.04.2016
6	अबरार अहमद	01.04.2016
7	किशोर कुमार शर्मा	01.04.2016
8	हर्षवदन भटनागर	01.04.2016
9	मोहम्मद फुरकान खान	01.04.2016
10	मोहन लाल नेहरा	01.04.2016
11	सुषमा अरोडा	01.04.2016
12	चेतनराम देवडा	01.04.2016
13	महावीर सिंह	01.04.2016
14	रेणु जयपाल (अजा)	01.04.2016
15	चिरंजी लाल दायमा (अजा)	01.04.2016
16	उज्जवल राठौड	01.04.2016
17	उमरदीन खान	01.04.2016
18	रश्मि गुप्ता	01.04.2016
19	वन्दना सिंघवी	01.04.2016
20	असलम मेहर	01.04.2016
21	चित्रा गुप्ता	01.04.2016
22	भगवंती जेठवानी	01.04.2016
23	अन्तर सिंह नेहरा	01.04.2016
24	हरि सिंह राठौड	01.04.2016
25	आराधना सक्सैना	01.04.2016
26	ब्रिजेन्द्र सिंह परमार	01.04.2016
27	घनेन्द्र भान चतुर्वेदी	01.04.2016
28	करण सिंह-।	01.04.2016

अज्ञा


निम्नलिखित अधिकारियों का सेवा अभिलेख (वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन) पूर्ण नहीं होने के कारण समिति इनके लिए पद रिक्त रखे जाने की अभिशंषा करती है :-

क्र.सं.	नाम (सर्व श्री)
1	राजेन्द्र किशन (अजा)
2	अकील अहमद

विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा चयनित अधिकारी, उनके नाम के आगे अंकित रिक्ति की तिथि से पदोन्नत हैं।

समस्त अधिकारीगण अपने वर्तमान पद पर यथावत कार्य करते रहेंगे एवं पदोन्नति पर कार्यग्रहण कर रिपोर्ट इस विभाग को भिजवायेंगे।

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से,


(अमिमन्चु कुमार)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सचिव, मा. राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. सचिव (प्रथम/द्वितीय), मा. मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. वरि. उप सचिव, मुख्यसचिव, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. संबंधित विभागाध्यक्ष।
7. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
8. निबंधक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
9. वित्तीय सलाहकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
10. संबंधित अधिकारीगण।
11. ए.सी.पी., कम्प्यूटर सैल, कार्मिक विभाग।
12. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।


संयुक्त शासन सचिव